न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 01/2023 बउनवानी डॉ0भूपेन्द्र सिंह यादव बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कले.खण्डार पुत्र स्व0 श्री शेर सिंह यादव नि0,34 अल्कापुरी–ए, मुरलीपुरा जयपुर 302039

GCMS No-2023/01 **ON Line Appeal No. 321047631563513**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
1.2.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 12.10.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. यह है कि न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा जारी पत्रांक 1071 दिनांक 2.9.2022 की प्रमाणित प्रति तथा आपके कार्यालय मे प्राप्ति दिनांक मय रिसिप्ट नम्बर एवं उक्त दिनांक की पावती रजिस्टर की प्र0प्रति तथा तहसीलदार खण्डार द्वारा की गयी कार्यवाही, जॉ़ी पत्र मय नोटशीट की प्र0प्रति। 2. यह है कि न्यायालय तहसीलदार खण्डार के मामला संख्या 9/2022 एवं 236/22 धारा 91 एलआर एक्ट की सम्पूर्ण पत्रावली की प्र0प्रति मय जारी गिरफ्तारी वारण्ट रामचरण गुर्जर प्रेषित थानाधिकारी खण्डार एवं थानाधिकारी खण्डार द्वारा की गयी कार्यवाही एवं प्राप्ति रिपोर्ट एवं गिरफ्तारी या अदम गिरफ्तारी रिपोर्ट मय विवरण की प्र0प्रति। 3. यह है कि मु0न0 11/2020 एवं 136/2020 मे जारी गिरफ्तारी वारण्ट एवं बाद तामील या अदम तामील प्राप्त दोनो प्रकरणों की गिरफ्तारी वारण्ट की यथा स्थिति की प्र0प्रति। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार के जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ()/2023/119 दिनांक 7.2.2023 से अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध तहसील कार्यालय खण्डार से होने के कारण तहसीलदार खण्डार की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा बिन्दु संख्या 1 की सूचना से संबंधित रिकार्ड तहसील कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 168 दिनांक 3.2.2023 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है तथा बिन्दु संख्या 2 व 3 की कुल 21 पृष्ठों की सूचना अपीलान्ट को भिजवाया जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 12.10.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 की सूचना से संबंधि[illegible] मे उपलब्ध नही होने के कारण तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 168 दिनांक [illegible] से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है तथा बिन्दु [illegible] की सूचना तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 151 दिनांक 2.2.2[illegible] से अपीलान्ट [illegible] भिजवायी जा चुकी [illegible] स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की [illegible] शुमार होकर नम्बर[illegible] हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले [illegible]यालय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:30:24 IST
Reason: SelfAttested